

3/22

वकील डिफेंडर उपा। तहसीलदर राजाखेड़ा
द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निकट
किता ही कि डिफेंडि. 09.09.19 की
पालना कर ही गई है। इस संबंध में
वकील डिफेंडर ने भी पालना वाकत
तय्य स्वीकार किचे। अतः प्रकरण वास्तु
निस्तारण होने डि. 12.03.22 को
लोक अदालत में पेश हो
→

12/03/22

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के समक्ष
पेश हुई। प्रकरण में पूर्व में डिफेंडि की
पालना हो चुकी है। प्रकरण में अब कोई
कान्विही शेष नहीं है। अतः पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल रफ्तार हो
→

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

~~Amjad~~
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बेंच राजाखेड़ा

→
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बेंच राजाखेड़ा